(भारत का राजपत्र, असाधारण के भाग–III, खंड–4 में **प्रकाशित**)

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

जी. संख्या 123 **नई दिल्ली 17 जुलाई 2009**

शुद्धिपत्र

(जून 2009 के 27वें दिन पारित)

इस प्राधिकरण ने महापत्तन न्यासों में सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) परियोजनाओं के लिए अपफ्रंट प्रशुल्क निर्धारण हेतु दिशा–निर्देशों के अनुसरण में विशाखापत्तन पत्तन में क्रमशः बहुउद्देशीय कार्गो प्रहस्तन और द्रव कार्गो प्रहस्तन के लिए अपफ्रंट प्रशुल्क सीमाएं अनुमोदित करते हुए मामला सं. टीएएमपी/39/2008–वीपीटी और टीएएमपी/17/2008–वीपीटी में 12 फरवरी 2009 को दो अलग–अलग आदेश पारित किए थे। दोनों आदेश क्रमशः राजपत्र सं. 26 और 21 द्वारा 24 फरवरी 2009 को भारत का राजपत्र, असाधारण (भाग– **III** खंड 4) में अधिसूचित किए गए थे।

2. आदेश सं. टीएएमपी/39/2008–वीपीटी के पैरा 10 (vii) (ड.) में अंतिम से पहले वाले उप–पैरा और आदेश सं. टीएएमपी/17/2008–वीपीटी के पैरा (vi) (घ) में कुछ टाइपलेखन त्रुटियाँ देखी गई हैं। आदेशों के उक्त अनुच्छेदों में प्रकट शब्द ''रु0 76.20 प्रति वर्ग मीटर प्रतिवर्ष'' को ''रु0 76.20 प्रति वर्ग मीटर प्रतिवर्ष'' के स्थान पर ''रु0 76.20 प्रति गज प्रतिवर्ष'' पढ़ा जाए।

(अरविन्द कुमार)
सदस्य